धरोहर में सजीव हो उठी रस्में व रीति रिवाज

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 8 जून. धरोहर के आयोजन में पुरानी रस्में, परंपरायें जीवित हो उठी। संस्कृति वेंकट हाल में आज रविवार की रात अ.भा. अग्रवाल संगठन द्वारा आयोजित धरोहर कार्यक्रम की

▶ अग्रवाल समाज के पारिवारिक आयोजन ने किया मंत्रमुग्ध

सभी ने सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजनों की श्रृंखला चलनी चाहिये, ताकि अग्रवाल समाज की नई पीढ़ी सांस्कृतिक विरासत एवं पारंपरिक वैवाहिक संस्कारों से अवगत हो सकें और उन्हें सहेज कर रख सकें। इस आयोजन में अग्रवाल समाज की वैवाहिक रीति रिवाजों, रस्मों, नेग चलन एवं मांगलिक गीतों को भी बताया गया।

कुल मिलाकर ग्वालियर में अ.भा. अग्रवाल संगठन के प्रदेशाध्यक्ष डा. राकेश अग्रवाल व उनकी टीम ने जिस तरह से धरोहर का आयोजन जिस तरह से किया, उससे समाज के 1200 से भी अधिक लोग प्रभावित हुये। कार्यक्रम इतने भव्य तरीके से दृश्य, श्रवण और मंचन से आयोजित हुआ कि सैंकड़ों लोग, महिलायें, पुरूष और उनके परिवार के सदस्य उसमे सम्मोहित होकर पूरे समय बैठे रहे। अ.भा. अग्रवाल संगठन की ओर से इस मौके पर एक अग्रवंश परिणय संस्कार पुस्तिका भी विमोचित कराई गई। अ.भा. अग्रवाल संगठन के प्रदेश प्रमुख डा. राकेश अग्रवाल का कहना है कि मानव जीवन में संस्कार केवल औपचारिक रस्में नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन मूल्यों, दर्शन और गौरवशाली इतिहास के संवाहक है। सनातन संस्कृति में वर्णित सोलह संस्कारों में पाणिग्रहण यानी विवाह संस्कार को सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस आयोजन में पवन कुमार अगव्राल, संदीप नारायण अग्रवाल, रामकुमार गोयल, राजेश अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, अजय गोयल, मनोज अग्रवाल बाबा, राकेश अग्रवाल, विवेक बंसल, दिलीप अग्रवाल, सीए अजय सिंघल, श्याम बंसल, राजीव अग्रवाल, विनय अग्रवाल, आशीष जैन, मुकेश सांघी, प्रतीक अग्रवाल, सुनील गोयल, योगेश अग्रवाल, रविकुमार गर्ग, शिवमोहन अग्रवाल, राजकुमार गर्ग फतेह बाबा, सुरेन्द्र अग्रवाल, विवेक अग्रवाल सहित महिला विंग श्रीमती ज्योति अग्रवाल, मीरा अग्रवाल, सीमा अग्रवाल आदि का सहयोग रहा।

गश्त के दौरान पकड़ाया आर्म्स एक्ट का आरोपी; कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद

ग्वालियर 8 जून। करहिया थाना पुलिस ने रात की गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस जब्त किया है। 7 जून की रात गश्त के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयराज कुबेर और भितरवार एसडीओपी जितेंद्र नगाइच के मार्गदर्शन में करहिया थाना प्रभारी उपनिरीक्षक संजू सिंह यादव की टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोलार घाटी रोड पर एक व्यक्ति वारदात की नीयत से हथियार लेकर खड़ा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हुलिए के आधार पर घेराबंदी की और संदिग्ध को दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम गोलू उर्फ पुरूषोत्तम प्रजापति (23 वर्ष), निवासी ग्राम करहिया बताया।

विधायक क्रिकेट प्रीमियर लीग महाकुंभ का समापन आज

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 8 जून. जन उत्थान न्यास के तत्वावधान में हो रहे विधायक क्रिकेट प्रीमियर लीग का आज 9 जून को शाम 6 बजे से एम.एल.बी कॉलेज के खेल मैदान पर फाईनल मैच खेला जायेगा। फाईनल मैच वार्ड क्रमांक 18 की टीम 18/एफ एवं वार्ड क्रमांक 60 की टीम 60/एच के मध्य खेला जायेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर की महापौर डॉ. शोभा सिकरवार करेंगी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में टूर्नामेंट के सूत्रधार, न्यास के अध्यक्ष एवं विधायक डॉ. सतीश सिकरवार होंगे। टूर्नामेंट समापन के अवसर पर सभी दर्शकों को न्यास की ओर से टी-शर्ट दी जायेगी। यह जानकारी कार्यक्रम संयोजक डॉ. राकेश अग्रवाल, सहसंयोजक संजय कठठ्ल एवं न्यासी आदित्य सिंह सिकरवार ने दी।

▶ टीम 18/एफ और टीम 60/एच पहुँची फाईनल में

▶ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार होंगे मुख्यअतिथि, महापौर करेंगी अध्यक्षता

कार्यक्रम में राज्यसभा सासंद अशोक सिंह, विधायक साहब सिंह गुर्जर, पूर्व मंत्री बालेन्दु शुक्ला, पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव, पूर्व सासंद रामसेवक सिंह बाबूजी, पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, ग्रामीण अध्यक्ष प्रभुदयाल जौहरे, पूर्व अध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ नेता रशिम पवार शर्मा, वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा, राजेन्द्र सिंह नाती, अशोक प्रेमी, महाराज सिंह पटेल, मीनू परिहार, राम पाण्डे, आर.पी. सिंह, सीमा समाधिया, वीणा भारद्वाज, ज्योति सिंह, संजय सिंह राठौर, लतीफ खाँ मल्लू, इब्राहिम पठान, जे.एच. जाफरी समेत जिला कांग्रेस के पदाधिकारीगण, ब्लॉक अध्यक्ष एवं पार्षदगण आदि मौजूद रहेंगे।

टूर्नामेंट में ये मिलेंगे पुरस्कार

विजेता टीम को एक लाख रूपये, उपविजेता टीम को 51 हजार रूपये एवं तीसरे स्थान पर आने वाली टीम को 31 हजार रूपये का नगद पुरस्कार दिया जायेगा। टूर्नामेन्ट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मोटर साइकिल दी जायेगी एवं सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर को 11-11 हजार रूपये का नगद पुरस्कार दिया जायेगा। टूर्नामेंट में 21 टीमों को प्रोत्साहन राशि 5100 रूपये दी जाएगी।

34वीं अंतर जिला उत्तरी जोन पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 8 जून. पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में सोमवार (8 जून) से 12 जून तक चलने वाली '34वीं अंतर जिला उत्तरी जोन पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2026' का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, धर्मवीर सिंह ने खिलाड़ियों को खेल भावना और नियमों के पालन की शपथ दिलाकर प्रतियोगिता की औपचारिक घोषणा की। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी जयराज कुबेर, अनु बेनीवाल, सुमन गुर्जर सहित जिले के तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, खेल अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

मार्च पास्ट और शपथ- कार्यक्रम की शुरुआत में विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने पुलिस बैंड की धुन पर अनुशासनबद्ध मार्च पास्ट किया। एसएसपी ग्वालियर ने व्यस्त पुलिस सेवा के बीच खेलों के महत्व पर जोर देते हुए सभी खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।

14 जिलों की टीमें शामिल

इस जोन स्तरीय प्रतियोगिता में ग्वालियर, चंबल, सागर और छतरपुर रेंज के कुल 14 जिलों (ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी) के लगभग 190 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

11 खेलों का आयोजन

प्रतियोगिता में हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, कुश्ती, एथलेटिक्स और क्रॉस कंट्री सहित कुल 11 खेल आयोजित किए जा रहे हैं। ये मुकाबले पुलिस लाइन, खेल गांव हजीरा, 2वीं वाहिनी कम्पू और खेल परिसर कम्पू पर खेले जाएंगे।

राज्य स्तर के लिए होगा चयन

इस प्रतियोगिता के माध्यम से उत्तरी जोन की मजबूत टीमों का गठन किया जाएगा, जो अगले महीने भोपाल में होने वाली 'राज्य स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता' में भाग लेंगी।

वारदात की नीयत से खड़ा शातिर बदमाश गिरफ्तार

ग्वालियर 8 जून। महाराजपुरा थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किया है। महाराजपुरा थाना प्रभारी यशवंत गोयल की टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि शताब्दीपुरम में दाने बाबा मंदिर के सामने एक युवक वारदात की नीयत से अवैध हथियार लेकर खड़ा है।

पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हुलिए के आधार पर संदेही को घेराबंदी कर दबोच लिया।

पूछताछ में उसने अपना नाम कार्तिक उर्फ गोलू शर्मा (24 वर्ष), निवासी कुंज विहार कॉलोनी (गोला का मंदिर) बताया। तलाशी लेने पर उसकी कमर से 315 बोर का एक देशी कट्टा और जेब से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी कार्तिक पर पहले से ही 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 3 महाराजपुरा और 2 गोला का मंदिर थाने में दर्ज हैं। पुलिस उससे अवैध हथियार के स्रोत के संबंध में पूछताछ कर रही है।

पूर्व मंत्री भगवान सिंह ने गुणवत्ता में आने पर कैंसर हास्पीटल को दी बधाई

ग्वालियर। स्व. शीतला सहाय कैंसर हास्पीटल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्वालियर जो कैंसर इलाज के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, को हाल ही में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाली प्रतिष्ठित संस्था एनएबीएच से आगामी 4 वर्ष के लिये फुल एक्रिडिटेशन प्राप्त हो गया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर संस्था के संचालक डा बी आर श्रीवास्तव को प्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री भगवान सिंह यादव ने बधाई दी है।

आम सूचना

श्री भोलू श्री दिनेश श्री जसरथ पुत्रगण श्रीहरवीर के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड स्थित ग्राम सैंथरी प.ह.नं. 99 तहसील एवं जिला ग्वालियर (स.प्र.) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र. 62 में स्थित है जो भूमि सर्व क्र. 855/2/1 ग्राम सैंथरी का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्गफट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है : पूर्व में-रास्ता, पश्चिम में-भूमि विक्रेता, उत्तर में-भूमि रामनाथ एवं दक्षिण में- भूमि विक्रेता है। । उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री लोटन सिंह पुत्र श्री औतार सिंह, श्री मेवाराम पुत्र श्री गजाधर सिंह, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री चंदन सिंह, श्री रामनाथ पुत्र श्री लालाराम श्री रामबरन पुत्र श्री रघुवीर, श्री सोनेराम, श्री दीवान सिंह, श्री लज्जाराम पुत्रगण श्री पतोखी श्री प्रीतम पुत्र श्री भीखाराम, श्री देवी सिंह पुत्र श्री सीताराम, श्री भारत पुत्र श्री शोभाराम के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री रामबरन सिंह कंसाना द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री भोलू, श्री दिनेश, श्री जसरथ पुत्रगण श्री हरवीर को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142592023ए12012716 दिनांक 19.06.2023 से विक्रय की गई। श्री भोलू, श्री दिनेश, श्री जसरथ द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार इण्डिया शैल्टर फायनेंस कॉर्पोरेशन लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूबित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्रीमती पदमा शर्मा पत्नी श्री छविराम पुत्री श्री बद्रीप्रसाद के स्वत्व स्वामित्व की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र. 13 का भाग, ब्लॉक-एल स्थित ग्राम मऊ प.ह.नं. 54 तहसील व जिला ग्वालियर में जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र 63 में स्थित जो भूमि सर्वे क्र. 244 ग्राम मऊ का भाग है एवं जिसका क्षेत्र 600 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है-पूर्व में-भूखण्ड क्र. 14. पश्चिम में-भूखण्ड क्र. 13 का भाग उत्तर में-रास्ता एवं दक्षिण में- सम्पत्ति दीगर है। उक्त सम्पत्ति वं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व श्री हरचरन, श्री मुरारीलाल पुत्रगण श्री घमंडी श्री दिनेश श्री विजय श्री तुलसीराम पुत्रगण श्री दीनानाथ आनंदी रामकटोरी मल्लोबाई, मुन्नीबाई पुत्रियां श्री घमंडी के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। मुल्लोबाई का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री भारत सिंह पुत्र स्व. श्री बद्रीप्रसाद शर्मा, लक्ष्मी, पदमा पुत्रियां स्व. श्री बद्रीप्रसाद उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्रीमती पदमा शर्मा द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने हेतु श्रीमती योगिता पाण्डेय पत्नी श्री हरिओम गोस्वामी के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सत्पादित किया जा चुका है एवं विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्रीमती योगिता पाण्डेय द्वारा उस्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फायनेंस लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को एवं मुल्लोमाई के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृष्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री श्रीनिवास के स्वत्व स्वामित्य व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड स्थित ग्राम पुरानी छावनी प.ह.नं. 46. तहसील जिला ग्वालियर (म.प्र) है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र. 64 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र. 447/2 448, 449 एवं 447/2/1 ग्राम पुरानी छावनी का भाम है एवं जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है और चतुसीमा निम्न प्रकार है-पूर्व में-भूखण्ड दीगर, पश्चिम में-भूखण्ड डॉ. प्रवीण कुमार चिरगैया उत्तर में-रास्ता 20 फुट चौड़ा एवं दक्षिण में-भवन शर्मा जी है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री मातादीन द्वारा श्री राजीव गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. 1158 दिनांक 10.07 2012 से विक्रय की गई। श्री राजीव गुप्ता द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री पुष्पेन्द्र सिंह सिकरवार पुत्र श्री सरनाम सिंह सिकरवार को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. दिनांक 17.11.2014 से विक्रय की गई। श्री पुष्पेन्द्र सिंह सिकरवार द्वारा उक्त सम्पति श्री नारायण वघेल एवं श्री बल्ली बघेल पुत्रगण स्व. श्री सीताराम बघेल को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142602022ए 1464475 दिनांक 05.05.2022 से विक्रय की गई। श्री नारायण बघेल द्वारा सम्पत्ति 500 वर्गफुट एरिया श्री जसरथ पुत्र स्व. श्री सीताराम को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142602024ए1309896 दिनांक 11.03.2024 से विक्रय की गई। श्री जसरथ एवं श्री बल्ली द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती गुड्डी पत्नी श्री श्रीनिवास को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142602024ए11147557 दिनांक 18.09.2024 से विक्रय की गई। उक्त सम्पत्ति के वर्तमान स्वामी द्वारा ऐसा अवगत कराया गया है कि उक्त विक्रय विलेखों दिनांक 10.07.2012 एवं 17.11.2014 की मूलप्रतियां गुम हो गई है। श्रीमती गुड्डी द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान बजाज हाउसिंग फायनेंस लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय को विक्रय विलेखों दिनांक 10.07.2012 एवं 17.11.2014 की मूलप्रतियां प्राप्त हो तो वह मूल दस्तावेज प्रदान करें एवं जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम, निकाय अथवा उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान बजाज हाउसिंग फायनेंस लि. ग्वालियर के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान बजाज हाउसिंग फायनेस लि. ग्वालियर के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान बजाज हाउसिंग फायनेंस लि. ग्वालियर के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार,
फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर
(म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

शहीद बांठिया के बलिदान स्थल एवं स्मारक पर चला सफाई अभियान

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 8 जून. 1857 की क्रांति के अमर शहीद अमरचंद बांठिया के 168वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा सराफा बाजार स्थित उनके बलिदान स्थल एवं स्मारक पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. जयवीर भारद्वाज, संभागीय अध्यक्ष पवन गुप्ता, युवक हिंदू महासभा के जिला युवा अध्यक्ष आनंद माहौर एवं युवा महामंत्री धर्मेंद्र बरेलिया ने किया। अभियान के बाद संगठन मंत्री रोहित जाटव, प्रवक्ता राहुल गुप्ता एवं हेमराज जाटव ने शहीद अमरचंद बांठिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर डॉ. जयवीर भारद्वाज ने कहा कि ग्वालियर के महापुरुषों, क्रांतिकारियों एवं बलिदानियों की प्रतिमाओं पर नगर निगम द्वारा नियमित रूप से माल्यार्पण एवं साफ-सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम की उदासीनता के कारण कई प्रतिमा स्थल गंदगी का शिकार हो रहे हैं, जिसे राष्ट्रभक्त समाज स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू महासभा द्वारा 22 जून को बलिदान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

महासभा भवन, दौलतगंज में सुबह 8 बजे चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी बेताल केन को सौंपी गई है। इसके बाद सुबह 9:30 बजे सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी। अमरचंद बांठिया के वंशज भूषण जैन बांठिया का सम्मान भी किया जाएगा।

शासकीय महिला पॉलीटेक्निक में प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग शुरू

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 8 जून. पड़ाव स्थित शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, ग्वालियर में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा जारी शैक्षणिक सत्र 2026-27 की ऑनलाइन काउंसलिंग समय-सारिणी के अनुसार द्वितीय चरण के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया 9 जून से 18 जून 2026 तक संचालित होगी।

इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में ऑनलाइन पंजीयन कर अपनी पसंद के संस्थान एवं पाठ्यक्रमों का चयन (चॉइस फिलिंग) कर सकते हैं। पंजीयन में संशोधन (एडिट रजिस्ट्रेशन) की सुविधा 19 एवं 20 जून 2026 को उपलब्ध रहेगी। इसके बाद मेरिट सूची जारी कर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी तकनीकी शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dte.mponline.gov.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा सीधे शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, ग्वालियर से संपर्क कर सकते हैं। द्वितीय चरण की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया 10 जून से 22 जून तक चलेगी। इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों को पुनः पंजीयन, संशोधन एवं चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाएगा। द्वितीय चरण की काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों पर संस्थागत स्तर की काउंसलिंग (सीएलसी) के माध्यम से 6 जुलाई से 14 अगस्त तक प्रवेश दिए जाएंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ए. ए. सिद्दीकी ने बताया कि संस्थान में आधुनिक प्रयोगशालाएं, अनुभवी संकाय सदस्य तथा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है।

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 39, भवन क्रं.1888, स्थानः कुशल अपार्टमेन्ट, बाई साहब की परेड पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती महेन्द्र कुमार जैन एच.यू.एफकर्ता आलोक जैन / श्री महेन्द्र कुमार जैन के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000183253 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 677 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A12073376 दिनांक 03.07.2023 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढ़ोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 08.06.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 71/2010/ 58997/59188/ प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
अवधेश कुमार मिश्रा / श्री रमेश चन्द्र मिश्रा
पताः कुशल अपार्टमेन्ट, बाई साहब की परेड, वार्ड- 39
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 08-06-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 39, भवन क्रं. 2319, स्थानः रजबाड़ा इन्क्लेव, बाई साहब की परेड कमानी पुल के पास पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती पार्थ अग्रवाल / श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, पवन अग्रवाल / श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000005990 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1169 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A100359057 दिनांक 25.03.2026 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढ़ोली बुआ का पुल क्षे. क्रं. 17 पर दिनांक 20.05.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 71/2010/ 58932/ 59123/ प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती रानी द्विवेदी पत्नी श्री विनोद कुमार द्विवेदी
पताः रजबाड़ा इन्क्लेव, बाई साहब की परेड कमानी पुल के पास, वार्ड- 39
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 08-06-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 18 वार्ड क्रं. 49, भवन क्रं. .., स्थानः हारकोटा सीर पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती रश्मि डाबरानी / श्री हरीश डाबरानी के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000255515 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 900 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A1501467 दिनांक 13.05. 2022 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गोरखी पानी की टंकी क्षे.क्रं. 18 पर दिनांक 04.06.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 83/2010/18866/41165/ प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती मीना माधवानी / श्री माधवदास
श्रीमती वेदीका माधवानी / श्री जीतेन्द्र माधवानी
पताः हारकोटा सीर, वार्ड- 49
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 08-06-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 18 वार्ड क्रं. 49, भवन क्रं. .., स्थानः हारकोटा सीर पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती रश्मि डाबरानी / श्री हरीश डाबरानी के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000255516 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 550 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्र. A11638007 दिनांक 24.03. 2023 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गोरखी पानी की टंकी क्षे.क्रं. 18 पर दिनांक 04.06.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 83/2010/ 18864/41163/ प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती कल्पना अग्रवाल / श्री विशाल अग्रवाल
पताः हारकोटा सीर, वार्ड- 49
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 08-06-2026

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आज ग्वालियर आएंगे

ग्वालियर 08 जून। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ग्वालियर दौरा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि उमंग सिंघार आज भोपाल से शताब्दी एक्सप्रेस से शाम को ग्वालियर आएंगे। रेलवे स्टेशन पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भव्य स्वागत कर अगवानी की जाएगी।

कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान के प्रभारियों की बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 8 जून. शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन, शिंदे की छावनी में कांग्रेस पार्षदों, पार्षद प्रत्याशियों एवं बिजली समस्याओं को लेकर चलाए जा रहे कांग्रेस के हस्ताक्षर हल्लाबोल अभियान के प्रभारियों की पृथक-पृथक महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में प्रदेश की सरकार एवं विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आम जनता पर जबरन थोपे जा रहे स्मार्ट मीटरों, लगातार बढ़ती बिजली समस्याओं, अघोषित बिजली कटौती तथा मनमाने बिजली बिलों के खिलाफ व्यापक जनआंदोलन खड़ा करने एवं वार्ड स्तर पर कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की गई।

बैठक में संगठन महामंत्री इब्राहिम पठान, मेहबूब खां चेनवाले, चतुर्भुज धनोलिया, हमीद खां उस्मानी, पूरन सिंह कुशवाह, रामनरेश परमार, गायत्री मंडेलिया, प्रेमलता धर्मेन्द्र जैन, मोनिका मनीष शर्मा, मनोज राजपूत, प्रमोद खरे, शकील मंसूरी, मीनू परिहार, राहुल बघेल, चंदन शर्मा, नवीन भदकारिया आदि उपस्थित थे।

युवाओं ने अमेरिका का राष्ट्रध्वज जलाकर जताया गुस्सा

ग्वालियर। अमेरिका में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फाड़े जाने के विरोध में युवक हिंदू महासभा ने आज सुबह प्रदर्शन करते हुए अमेरिका का राष्ट्र ध्वज जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस अवसर पर अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई ।प्रदर्शन में युवक हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष आनंद माहौर, जिला प्रवक्ता राहुल गुप्ता, महामंत्री धर्मेंद्र बरेलिया, संगठन मंत्री रोहित जाटव के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ जयवीर भारद्वाज, संभागीय अध्यक्ष पवन गुप्ता, जिला अध्यक्ष लोकेश शर्मा भी शामिल हुए।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सचिन परमार पुत्र श्री दीवान सिंह परमार के आधिपत्य का एक भवन, जो सर्वे क्र. 630 के भाग पर निर्मित है, स्थित शिव नगर, वार्ड क्र. 5 (तात्या टोपे वार्ड), ग्राम जौरी, तहसील एवं जिला मुरैना में है, जिसका क्षेत्रफल 525 वर्गफुट है। इसकी चतुर्सीमा इस प्रकार है-पूर्व में भवन सिकरवार, पश्चिम में भवन सचिन परमार, उत्तर में भूमि अन्य, दक्षिण में 20 फुट रोड। सचिन परमार ने उक्त संपत्ति जरिये विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 17/11/2022 द्वारा श्रीमती गिरजा देवी पत्नी राम बहादुर सिंह से क्रय की है। श्रीमती गिरजा देवी ने उक्त संपत्ति जरिये विक्रय पत्र पंजीयन क्रमांक 2466, पंजीयन दिनांक 05/02/2014 के द्वारा विश्वनाथ सिंह एवं अन्य से क्रय की थी। संपत्ति स्वामी के अनुसार उक्त संपत्ति का पूर्व असल विक्रय पत्र पंजीयन क्रमांक 2466 पंजीयन दिनांक 05/02/2014 कहीं गुम हो गया है। उक्त संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने हेतु श्री सचिन परमार ने वित्तीय संस्था में आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः कोई व्यक्ति, संस्था, निगम, निकाय, बैंक, प्रायवेट फाइनेंसर, उपरोक्त सम्पत्ति में अपना हक, अधिकार, ऋणभार, जमानत सम्बन्धी भार, अनुबंध रखते हो या उपरोक्त वर्णित असल विक्रय पत्र प. क्र. 2466 पं. दि. 05/02/2014 को पूर्व सम्पत्ति स्वामियों या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक या प्रायवेट फाइनेंसर के यहाँ बंधक ऋण लिया हो या किसी ऋण पेटे जमानत स्वरुप बंधक रखा हो या कोई व्यक्ति किसी प्रकार का दावा उपरोक्त सम्पत्ति में रखता हो तो उक्त सम्पत्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में दस्तावेजों के हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करे, 7 दिवस पश्चात अगर सचिन परमार का आवेदन वित्तीय संस्था के नियमों के अनुसार सही पाया जाता है तो वित्तीय संस्था उपरोक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर सचिन परमार को ऋण प्रदान कर देगी। इसके पश्चात प्रस्तुत किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य न होकर सर्व ही होगी तथा वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये ऋण का भार उपरोक्त सम्पत्ति पर सर्वप्रथम व एक मात्र होगा।।

प्रेषकः **कौशल पाराशर एवं सुमित तिवारी (एडवोकेट्स)**
कार्यालय - स्व. श्री ओ. पी. शर्मा, एडवोकेट,
जस्टिस हरगोविन्द मिश्रा कॉलोनी, महादजी पार्क,
लश्कर, ग्वालियर, मो.: 9893114325

आम सूचना

आम व खास को सूचित किया जाता है कि, एक व्यवसायिक भू-खण्ड क्रमांक 6बी, सेक्टर-एफ, जिसका क्षेत्रफल 782 वर्गफीट है जो मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, ग्वालियर द्वारा आवंटित प्लॉट क्रमांक 01 का भाग होकर वार्ड क्रमांक 18, दीनदयाल नगर, ग्वालियर जिला ग्वालियर, म.प्र. स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है : पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में व्यवसायिक प्लॉट क्रमांक 07 एवं 08, दक्षिण में व्यवसायिक प्लॉट क्रमांक 06-ए स्थित है जिसे आवेदिका श्रीमती मंजू शर्मा पत्नि श्री आशुतोष पारासर निवासी भवन क्रमांक 582, सेक्टर-06, करनाल, हरियाणा ने सम्पत्ति/अनुबंधकर्ता श्रीमती रीना शर्मा पत्नि श्री विनोद कुमार शर्मा निवासी 62 वैष्णवीपुरम, अमलताल कॉलेनी, ग्वालियर, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार आई सी आई सी आई एचएफसी, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरुद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है ।यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।
दिनांकः 06/06/2026.

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर,
जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय : प्रातः 11.00 से सांय 05.00 तक

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय भू-खण्ड जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 1141 राजस्व ग्राम पुरानी छावनी का भाग होकर वार्ड क्रमांक 64, ग्राम पुरानी छावनी, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है :- पूर्व में-आम रास्ता, पश्चिम में-अन्य का प्लॉट, उत्तर में-अन्य का भवन, दक्षिण में-ऊषा देवी का भवन स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी पत्नि श्री राधेश्याम निवासी ग्राम जरोनी, खड़गपुर, मुरैना, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती अरूणा प्रजापति पत्नि श्री सुनील प्रजापति निवासी इन्द्रानगर, चार शहर का नाका, हजीरा, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार मेरे पक्षकार पिरामल फाइनेन्स लिमिटेड ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरुद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि उक्त सम्पत्ति को विक्रेता / अनुबंधकर्ता एवं पूर्व स्वामी अन्य सह-स्वामियों के साथ संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य में धारण करते थे तथा उनके द्वारा अपने भाग की भूमि से सम्पत्ति अन्तरण किया गया । यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति/व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तदनुसार सूचित हो।
दिनांकः 06/06/2026.

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर,
जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय : प्रातः 11.00 से सांय 05.00 तक

आम सूचना

आम व खास को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय भवन एवं भूमि जिसका क्षेत्रफल 26453 वर्गफीट है जो सर्वे क्रमांक 580/1, 580/2, 582, 581, 579 राजस्व ग्राम करियावटी, पटवारी हल्का क्रमांक 09, ग्राम करियावटी तहसील डबरा, जिला ग्वालियर म.प्र में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है :- पूर्व में-गुर्जर की भूमि, पश्चिम में-रामगोपाल तिवारी की भूमि, उत्तर में-रामगोपाल तिवारी की भूमि, दक्षिण में-डबरा भितरवार रोड़ का स्थित है। उक्त संपत्ति के संबंध में सम्पत्ति स्वामी श्री रामगोपाल तिवारी पुत्र श्री शिवचरण तिवारी निवासी जवाहरगंज डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र. के द्वारा अपनी माता श्रीमती सुशीला तिवारी पत्नि श्री शिवचरण तिवारी निवासी जवाहरगंज डबरा, जिला ग्वालियर के पक्ष में पंजीकृत सह-स्वामित्व विलेख का निष्पादन प्रस्तावित है जिसके आधार पर हस्तांतरणकर्ता एवं ग्रहिता ने मेरे व्यवहारी ए.यू. स्माल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा ग्वालियर के यहां आवास ऋण के विरुद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।
दिनांकः 08/06/2026

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय 44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समयः प्रातः 11.00 से सांय 05.00 तक

आम सूचना

आम व खास को सूचित किया जाता है कि, एक आवासीय भवन क्रमांक 22 जिसका कुल क्षेत्रफल 500 वर्गफीट है जो वार्ड क्रमांक 37, विक्रमपुरा, शास्त्री चौराहे के पास, लश्कर रोड़, भिण्ड, तहसील एवं जिला भिण्ड, म.प्र. स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है :- पूर्व में -अवधेश शर्मा का भवन, पश्चिम में-आम रास्ता, उत्तर में-रामस्वरूप गौड़ का भवन, दक्षिण में - कमलेश एवं नरेश के भवन स्थित है जिसे आवेदिका श्रीमती कुन्ती देवी पत्नी श्री मनीष सिंह निवासी ग्राम स्तनपुरा, तहसील एवं जिला भिण्ड, म.प्र. ने सम्पत्ति / अनुबंधकर्तागण श्री किशन श्रीवास पुत्र श्री हरिओम श्रीवास, श्री राजेश, श्री गजेन्द्र, श्री राजेन्द्र पुत्रगण स्वं. श्री खचेरेलाल, महिला शकुन्तला, राधा पुत्रियां श्री रमेश सिंह निवासीगण 22, लश्कर रोड़ भिण्ड, जिला भिण्ड, म.प्र. से क्रय करने का अनुबंध कर मेरे पक्षकार आई सी आई सी आई एचएफसी, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरुद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति / व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तदनुसार सूचित हो।
दिनांकः 08/06/2026

पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय 44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समयः प्रातः 11.00 से सांय 05.00 तक